[2022] 6 एस. सी. आर 1085

/

एन. सी. वी. ऐश्वर्या

बनाम

ए. एस. सरवन कार्तिक शा (सिविल अपील सं.4894 2022 का) 18 जुलाई, 2022

/

[एस**.** अब्दुल नजीर और जे**.** के**.** माहेश्वरी**]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -एस. 24-स्थानांतरण-पावर यू/एस।24, वैवाहिक मामलों का अभ्यास-अपीलार्थी-पत्नी द्वारा दायर याचिका जिसमें प्रतिवादी-पति द्वारा पारिवारिक न्यायालय , वेल्लोर के समक्ष दायर विवाह को रद्द करने के मामले को परिवार न्यायालय , चेन्नई में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी-खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःयू/एस द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए कार्डिनल सिद्धांत।24 यह है कि न्याय के उद्देश्यों को मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग करनी चाहिए-भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक-आर्थिक प्रतिमान को देखते हुए, आम तौर पर, यह पत्नी की सुविधा है जिस पर स्थानांतरण पर विचार करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए-इसके अलावा, जब एक ही पक्ष के बीच विभिन्न न्यायालय ों में दो या दो से अधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जो तथ्य और विधि का सामान्य प्रश्न उठाते हैं, मामलों में निर्णय एक-दूसरे पर निर्भर होने के कारण, उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि एक ही मुद्दे के मुकदमे में बहुलता और निर्णयों के टकराव से बचा जा सके-वर्तमान मामले में, लगभग 21 वर्ष की आयु का अपीलकर्ता अपने वृद्ध माता-पिता के साथ अकेला रहता है, उसके लिए प्रतिवादी द्वारा दायर मामले में भाग लेने के लिए चेन्नई से वेल्लोर तक यात्रा करना मुश्किल है-साथ ही, अपीलार्थी के पास कोई रास्ता नहीं है।धारा 9-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.125।

/

/

/

/

/

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -धारा 24-हस्तांतरण-वैवाहिक मामले-विचार किए जाने वाले कारक-आयोजितःवैवाहिक मामलों में, स्थानांतरण की याचिका पर विचार करते समय,

न्यायालयों को दोनों पक्षों की आर्थिक मजबूती, पति-पत्नी के सामाजिक स्तर, उनके व्यवहार, जीवन स्तर को ध्यान में रखना होगा।

/

1085 ए.

1086 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

विवाह से पहले और बाद अंतर्गत , दोनों पक्षों की अपनी आजीविका चलाने की परिस्थितियाँ और जिनकी सुरक्षात्मक छत्रछाया अंतर्गत वे जीवन के लिए अपना निर्वाह चाहते हैं।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 4894।

/

2020 के TR.C.M.P. No.473 में मद्रास में उच्च न्यायालय के 19.11.2020 के निर्णय और आदेश से।

एस, गौतम, अभिसार ठकराल, एस. मुथुकृष्णन, सुश्री हेमलता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

हरिप्रिय पद्मनाभन, प्रहु रामसुब्रमण्यन, रघुनाथ सेतुपति बी., शिवानी विज, के. परी वेंधन, एड.प्रत्यर्थियों के लिए।न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

/

आदेश

1. अनुमति दी गई।

/

2. यह अपील 2020 के TR.C.M.P. No.473 में दिनांकित 19.11.2020 आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत मद्रास में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक याचिका, F.C.O.P को स्थानांतरित करने की मांग की गई है।3. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह हिंदू अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों के अनुसार कन्ना महल, अन्ना सलाई, वेल्लोर में 05.03.2020 पर आयोजित और संपन्न किया गया था।यह प्रत्यर्थी का मामला है कि अपीलार्थी ने छोटी-छोटी बातों के लिए प्रत्यर्थी के साथ झगड़ा करना और लड़ना शुरू कर दिया और विवाह को पूरा करने से इनकार कर दिया।प्रत्यर्थी ने अपनी शादी को रद्द करने के लिए परिवार न्यायालय , वेल्लोर के समक्ष 2020 का उपरोक्त F.C.O.P. No.125 दायर किया।

/

/

4. अपीलार्थी चेन्नई का निवासी है।उसने दो मामले भी दर्ज कराए हैं।उसके द्वारा अपने पति के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 और 2021 की एम. दंड प्रक्रिया संहिता <आई. डी. 4 के अंतर्गत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए चेन्नई में परिवार न्यायालय के समक्ष <आई. डी. 2 की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण के लिए 2021 की <आई. डी. 1] दायर की गई है।

/

5. अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दायर अपनी याचिका में अन्य लोगों के साथ तर्क दिया है कि बिना किसी उचित ए के

/

1087

एन. सी. वी. ऐश्वर्या बनाम ए. एस. सरवन कार्तिक ए.

बहाना, प्रत्यर्थी अपनी सोसायटी से हट गई और यह कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ रहने और उसे वैवाहिक साहचर्य देने के लिए बाध्य है।

6. अपीलार्थी ने मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत एक याचिका दायर की, जिसमें परिवार न्यायालय , वेल्लोर की फाइल पर लंबित 2020 के F.C.O.P No.125 को चेन्नई में परिवार न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई। अपीलार्थी के अनुसार, उसके माता-पिता बूढ़े हैं और वह 21 वर्ष की है और बिना किसी समर्थन के न्यायालय ी कार्यवाही के माध्यम से वेल्लोर की यात्रा करने की स्थिति में नहीं है।इसके अलावा, अपीलार्थी का तर्क है कि उसके वृद्ध माता-पिता के लिए उसके साथ वेल्लोर जाना संभव नहीं होगा।वह नैतिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर है।वह नौकरी नहीं करती है और उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।इसके अलावा, उनके पास वेल्लोर में रहने के लिए कोई आवास नहीं है।प्रतिवादी ने उक्त याचिका का विरोध किया है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया है।

/

/

/

7. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

8. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी चेन्नई का निवासी है और इसमें अपीलार्थी का पति-प्रतिवादी वेल्लोर का निवासी है और वह कार्यरत है।अपीलार्थी, जिसकी आयु 21 वर्ष है, के पास अपनी आय का कोई स्रोत नहीं है क्योंकि वह नियोजित नहीं है और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर है।वेल्लोर में अपने पति द्वारा दायर मामले की न्यायालय ी कार्यवाही में भाग लेने के लिए उसे चेन्नई से वेल्लोर तक अकेले यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि उसके माता-पिता अपनी वृद्धावस्था के कारण उसके साथ जाने की स्थिति में नहीं हैं।दूसरा, अपीलार्थी ने 2021 की एक याचिका, H.M.O.P. No.1741, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए और एक अन्य याचिका, 2021 की एम. सी. सीनियर No.672, चेन्नई में परिवार न्यायालय के समक्ष अपने भरण-पोषण के लिए दायर की है।

/

/

9. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए मुख्य सिद्धांत यह है कि न्याय के उद्देश्यों को मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग करनी चाहिए।वैवाहिक मामलों अंतर्गत , जहां भी न्यायालयों को स्थानांतरण की याचिका पर विचार करने के लिए कहा जाता है, न्यायालयों को दोनों पक्षों की आर्थिक मजबूती, पति-पत्नी के सामाजिक स्तर और उनके व्यवहार, विवाह से पहले और उसके बाद उनके जीवन स्तर और दोनों पक्षों की परिस्थितियों को ध्यान अंतर्गत रखना होगा।

/

/

जीवन।भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक-आर्थिक प्रतिमान को देखते हुए, आम तौर पर, यह पत्नी की सुविधा है जिसे स्थानांतरण पर विचार करते समय देखा जाना चाहिए।

10. इसके अलावा, जब एक ही पक्ष के बीच अलग-अलग न्यायालयों में दो या दो से अधिक कार्यवाहियां लंबित होती हैं जो तथ्य और विधि का सामान्य प्रश्न उठाती हैं, और जब मामलों में निर्णय परस्पर निर्भर होते हैं, तो यह वांछनीय है कि उन पर एक ही न्यायाधीश द्वारा एक साथ मुकदमा चलाया जाए ताकि एक ही मुद्दे के मुकदमे में बहुलता और निर्णयों के टकराव से बचा जा सके।11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थी लगभग 21 वर्ष की आयु की एक युवा महिला है, जो अपने वृद्ध माता-पिता के साथ अकेली रहती है।उपरोक्त परिस्थितियों अंतर्गत , उसके लिए शादी को रद्द करने की मांग करने वाले प्रतिवादी द्वारा दायर मामले की न्यायालय ी

कार्यवाही अंतर्गत भाग लेने के लिए चेन्नई से वेल्लोर तक की यात्रा करना मुश्किल है।इसके अलावा, कार्यवाही की बहुलता और निर्णयों के टकराव से बचने के लिए तीनों मामलों को एक साथ जोड़ना भी उचित और उचित है।इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर 2020 की TR.C.M.P.No.473 वाली स्थानांतरण याचिका को अस्वीकार करने में न्यायसंगत नहीं था।

/

/

/

12. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और तदनुसार अनुज्ञात जाती है।2020 के TR.C.M.P. NO.473 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 19.11.2020 आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।हम परिवार न्यायालय , वेल्लोर के समक्ष विचाराधीन 2020 के F.C.O.P. No.125 को चेन्नई के अधिकार क्षेत्र वाले परिवार न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं।हम उपरोक्त तीन मामलों को एक साथ जोड़ने का भी निर्देश देते हैं ताकि चेन्नई में संबंधित परिवार न्यायालय द्वारा एक सामान्य आदेश पारित किया जा सके।

/

13. हम पक्षों को उनकी लागत वहन करने का निर्देश देते हैं।14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/